


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
 प्रार्थना पत्र संख्या 27 वर्ष 2016
 सीताराम पुत्र रामकुंवार उर्फ रामकुमार जाति माली निवासी लतीफगंज (पायगा) तहसील उनियारा
 हाल भोडक तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
 बनाम
 तहसीलदार उनियारा जिला टोंक
 आदेश प्रार्थना 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म के तामील में जारी हुए
12.3.2016	<p>पत्रावली पेश हुयी । प्रार्थी के वकील उपस्थित । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो । पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उनियारा उपस्थित । पेरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया । उभय पक्ष की बहस सुनी गई । बहस पर गौर किया गया । पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा खाता संख्या 164, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा खाता संख्या 109, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा खाता संख्या 132 मे छीतर पि० रामकुंवार दर्ज है । छाया प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र मे छीतर पुत्र रामकुमार दर्ज है । छाया प्रति आधार कार्ड मे सीताराम पुत्र रामकुंवर, छज़या प्रति पेन कार्ड मे सीताराम माली पिता का नाम रामकुमार माली , छाया प्रति परिवार कार्ड मे सीताराम पुत्र रामकुंवार माली दर्ज है रिपोर्ट पटवारी अनुसार छीतर व सीताराम एक ही व्यक्ति है । पेरोकार सरकार ने भी अपने जवाब मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज छीतर पुत्र रामकुंवार के स्थान पर सीताराम पुत्र रामकुंवार उर्फ रामकुमार दर्ज किये जाने मे अपनी आपत्ति प्रस्तुत नही की है ।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वे खाता संख्या 109, नकल जमाबन्दी सम्वत 2067-2070 वाके ग्राम पायगा तहसील उनियारा खाता संख्या 132 मे छीतर पि० रामकुंवार के स्थान पर सीताराम पुत्र रामकुंवार उर्फ रामकुमार दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरुस्त करे । पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावे । पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ़्तर हो ।</p>	


 उप खण्ड अधिकारी
 उनियारा जिला टोंक